

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

संख्या:- 39/2014

निर्णय दिनांक :-22.02.2021

उनवानी दावा :

प्रेमलाल पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तह0 दूनी जिला टोंक राज0

— वादीया—

## बनाम

1. केसरा पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी
2. रामेश्वर पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी
3. औंकार पुत्र पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी
4. अर्जन पुत्र पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी
5. कजोड़ी पत्नी पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी
6. नन्दा पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. कजोड़ी बेवा अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक रज0
8. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

— प्रतिवादीगण —

उपस्थिति :-

श्री आलोक कुमार शर्मा  
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध  
प्रतिवादी संख्या 1ता 7

## वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 07.06.2017 राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में उपखण्ड अधिकारी, देवली द्वारा बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रैजात रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रैजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रैजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।


अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रैजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सत्यप्रतिलिपी पी-35 क्रमांक 199 दिनांक 06.02.2019 वाके ग्राम ख्वासपुरा तहसील दूनी के खाता संख्या 406 में दर्ज कुल किता 6 कुल रकबा 1.65 है0, दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हिस्से की भूमि में उपयोग-उपभोग में मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे। तहसीलदार देवली की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

*(Handwritten signature)*

नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1 प्रेमलाल पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर सा0 ख्वासपुरा खातेदार राहिन बी.आर.के.जी. बी शाखा आंवा नक्शा ट्रेस में गहरे लाल रंग से दर्शित	3025	0.23	बरानी 2	0.92
	3028	0.50	चाही 1, 0.30 जाव 1, 0.20	9.90, 3.30
	3033	0.10	चाही 1, 0.07 जाव 1, 0.03	2.31, 0.49
	3031	0.13	चाही 1, 0.12 जाव 1, 0.01	3.96, 0.16
योग	किता-4	0.96		21.04
केसरा रामेश्वर अरजन पुत्र देवकरण हि0 81/250 राहिन यू. बी.आई शाखा आंवा मूर्त ऊंकार पुत्र देवकरण हि0 54/250 राहिन यू. बी.आई शाखा आंवा व कजोड़ी पत्नी देवकरण हि0 3/50 नन्दा पुत्र कजोड़ी बेवा अम्बालाल हि0 2/5 जाति गुर्जर सा. ख्वासपुरा खातेदार राहिन नन्दा का हिस्सा राहिन यू.बी.आई शाखा आंवा मूर्तहीन नक्शा ट्रेस में सफेद (खाली स्थान) से दर्शित	3023	0.16	बरानी 2	0.64
	3031	0.22	चाही 1, 0.20 जाव 1, 0.02	6.60, 0.33
	3033	0.10	चाही 1, 0.03 जाव 1, 0.07	0.50, 2.31
	3034	0.21	चाही 1, 0.13 जाव 1, 0.08	4.29, 1.32
योग	किता-4	0.69		15.99

संलग्न तहसीलदार दूनी द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस। तहसीलदार दूनी उक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली

## डिक्री मुकदमा इब्तदाई

20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....मुकाम

उनवानी दावा :-

प्रेमलाल पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तह0 दूनी जिला टोंक राज0

- वादी-

## बनाम

1. केसरा पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी
2. रामेश्वर पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी
3. औंकार पुत्र पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी
4. अर्जन पुत्र पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी
5. कजोड़ी पत्नी पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी
6. नन्दा पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

- प्रतिवादीगण -

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 39 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रुबरू एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

## आदेश

जमाबंदी सत्यप्रतिलिपी पी-35 कमांक 199 दिनांक 06.02.2019 वाके ग्राम ख्वासपुरा तहसील दूनी के खाता संख्या 406 में दर्ज कुल किता 6 कुल रकबा 1.65 है0, दर्ज राजस्व रिकार्ड है। की आराजी बाबत् दावा अंतिम निर्णय पारित किया जाकर दावा विभाजन आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा होने से तहसीलदार देवली की कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से की भूमि में उपयोग-उपभोग में मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:



नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
प्रेमलाल पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर सा0 ख्वासपुरा खातेदार राहिन बी.आर.के. जी.बी शाखा आंवा नक्शा ट्रेस में गहरे लाल रंग से दर्शित	3025	0.23	बरानी 2	0.92
	3028	0.50	चाही 1, 0.30 जाव 1, 0.20	9.90, 3.30
	3033	0.10	चाही 1, 0.07 जाव 1, 0.03	2.31, 0.49
	3031	0.13	चाही 1, 0.12 जाव 1, 0.01	3.96, 0.16
योग	किता-4	0.96		21.04
केसरा रामेश्वर अरजन पुत्र देवकरण हि0 81/250 राहिन यू.बी.आई शाखा आंवा मूर्त ऊंकार पुत्र देवकरण हि0 54/250 राहिन यू.बी.आई शाखा आंवा व कजोड़ी पत्नी देवकरण हि0 3/50 नन्दा पुत्र कजोड़ी बेवा अम्बालाल हि0 2/5 जाति गुर्जर सा. ख्वासपुरा खातेदार राहिन नन्दा का हिस्सा राहिन यू.बी.आई शाखा आंवा मूर्तहीन नक्शा ट्रेस में सफेद (खाली स्थान) से दर्शित	3023	0.16	बरानी 2	0.64
	3031	0.22	चाही 1, 0.20 जाव 1, 0.02	6.60, 0.33
	3033	0.10	चाही 1, 0.03 जाव 1, 0.07	0.50, 2.31
	3034	0.21	चाही 1, 0.13 जाव 1, 0.08	4.29, 1.32
योग	किता-4	0.69		15.99

संलग्न तहसीलदार दूनी द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

D. D. D.

.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना

ज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 02 सन् 2021

को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त ..... *P. S.* .....

ओहदा .....

मुददई	रु.	पै.	मुददायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।